निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ 1933 (श0)

संख्या 24 पटना, बुधवार,

15 जून 2011 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-2**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	**3-8**
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	**9-12**

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

9 मई 2011

सं० 01/स्था०(2) वि०स०से०(अति०प्र०) 08/10–2167—श्री अंजुम हसन अंसारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया को सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, खगड़िया अंचल , खगड़िया तथा खगड़िया आई0सी0डी0पी0 महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।

2० यह आदेश तुरत प्रभावी होगा।

3० इससे सम्बंधित पूर्व के आदेश को अवक्रमित समझा जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
ललन राय, उप–सचिव ।

18 मई 2011

सं० 1/रा0स्था0(अंके0)पदस्थापन–18/2007–2306—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी ,सहयोग समितियाँ मधुबनी का अतिरिक्त प्रभार जो विभागीय अधिसूचना संख्या 3558, दिनांक 1 सितम्बर 2009 द्वारा श्री कृष्ण कुमार शर्मा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बेगुसराय को दिया गया था, को अगले आदेश तक के लिए श्री संजय कुमार ,जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को प्रदान किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
ललन राय, उप–सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13—571+**10**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

9 दिसम्बर 2010

सं० 5/सह0/ फ॰ बी॰–43/2009–5098––भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13011/15–1999 क्रेडिट– II दिनांक 16 जुलाई 1999, एवं पत्रांक 13011/04/2004– क्रेडिट–II दिनांक 11 अगस्त 2010 द्वारा परिचारित आदेश तथा योजना के अनुश्रवण हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 23 सितम्बर 2010 की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय एवं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना के पत्रांक 701, दिनांक 1 दिसम्बर 2010 के आलोक में रब्बी 2010–11 मौसम की निम्नांकित फसलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत बीमा हेतु अधिसूचित किया जाता है:–

(क) गेंहूँ–राज्य के 35 जिले के कुल 492 अंचल।

(ख) चना– राज्य के 17 जिले।

(ग) मसूर– राज्य के 31 जिले।

(घ) रब्बी–मक्का–राज्य के 22 जिले।

(ङ) अरहर– राज्य के 24 जिले।

(च) राई एवं सरसों–राज्य के 35 जिले।

(छ) आलू– राज्य के 15 जिले।

(ज) प्याज– राज्य के 15 जिले।

(झ) बैगन–राज्य के 12 जिले।

(ञ) टमाटर–राज्य के 10 जिले।

(ट) ईख (2011–12) – राज्य के 13 जिले।

अनुलग्नक में जिले/अंचलों का विस्तृत विवरण दर्शाया गया है।

2॰ इस योजना में वाणिज्य बैंक/ ग्रामीण बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से कृषक अपनी फसलों का बीमा करायेंगे। इस योजना में बैंकों के अतिरिक्त अन्य कोई एजेंसी यथा पैक्स आदि बीमा एजेन्ट के रूप में कार्य नहीं करेंगे। प्रीमियम की राशि तथा क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित बैंकों के माध्यम से ही भुगतेय होगा। ऋणी कृषक केवल ईख फसल का बीमा करा सकेंगे। गैर ऋणी कृषक उक्त सभी फसलों का बीमा करा सकते हैं, किन्तु गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी स्वैच्छिक होगी। ईख फसल के बीमा हेतु इच्छुक वैसे ऋणी कृषक जो ऋण राशि से अधिक राशि का बीमा कराना चाहेंगे, वैसी स्थिति में उक्त अधिक राशि हेतु वे गैर ऋणी कृषक समझे जायेगें। मुंगेर, जमुई एवं शिवहर जिलों में Modified राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना इस अवधि में लागू है। अतः इन जिलों में यह योजना स्थगित रहेगी।

3॰ **बीमित राशि** :– बीमित राशि के तीन विकल्प हैः–

(क) ऋण राशि का पूर्णतः बीमा कराना अनिवार्य होगा, किन्तु ऋणी कृषक केवल ईख फसल का बीमा करा सकते हैं, जो राज्य के 13 जिलों के लिए अनुमान्य है।

(ख) कृषक निर्धारित उपज के मूल्य तक भी बीमा करा सकते हैं।

(ग) यदि कृषक चाहें तो औसत उपज के 150 % तक की राशि का बीमा करा सकते हैं।

4॰ **प्रीमियम दर का निर्धारण** :– इस योजना में प्रीमियम की दो दरें निर्धारित की गई है **(क) निश्चित दर, (ख) वास्तविक दर।** आलू, प्याज ईंख,बैगन एवं टमाटर फसल हेतु केवल वास्तविक दर ही लागू होगी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणी के आधार पर नीचे अंकित तालिका में प्रीमियम दर एवं बीमित राशि को दर्शाया गया हैः–

क्र॰सं॰	फसल का नाम	प्रीमियर दर		क्षतिपूर्ति का स्तर	बीमित राशि प्रति हेक्टर	
		निश्चित दर	वास्तविक दर		निर्धारित उपज दर के मूल्य तक	औसत उपज दर के 150% मूल्य तक
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
1.	गेंहूँ	1.50 %	3.90 %	60	13,848.00	35,456.00
2.	चना	2.00 %	2.90 %	80	13,245.00	24,832.00
3.	मसूर	2.00 %	5.10 %	80	11,697.00	22,033.00
4	रब्बी–मक्का	2.00 %	6.05 %	80	15,960.00	39,906.00
5	अरहर	2.00 %	5.50 %	80	22,758.00	43,030.00
6	राई एवं सरसों	2.00 %	8.00 %	80	10,033.00	25,075.00
7	आलू	लागू नहीं	5.30 %	80	43,692.00	1,09,231.00
8	प्याज	लागू नहीं	7.15 %	80	53,325.00	99,984.00
9	ईंख	लागू नहीं	2.60 %	80	46,795.00	87,857.00
10	बैगन	लागू नहीं	7.35 %	80	46,479.00	87,144.00
11	टमाटर	लागू नहीं	9.45 %	80	53,104.00	1,51,813.00

लघु एवं सीमान्त कृषकों को बीमा प्रीमियम की राशि में 10% का अनुदान सरकार द्वारा अनुमान्य होगा। शेष राशि कृषकों द्वारा वहन किया जायेगा।

5॰ ऋण नीति के अनुसार बैंकों से ईख फसल हेतु ली गयी संपूर्ण अल्पकालीन कृषि ऋण की राशि पर प्रीमियम की निश्चित दर लागू होगी। गैर ऋणी कृषकों के मामले में निर्धारित उपज दर के मूल्य तक प्रीमियम की निश्चित दर एवं औसत उपज दर के 150% तक मूल्य की बीमित राशि पर वास्तविक दर लागू होगी।

6॰ गैर ऋणी कृषकों के फसलों का बीमा करने से पूर्व बैंक द्वारा निम्नांकित बातों का अनुपालन करना आवश्यक होगा :–

(क) कृषक द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्णतः भरा गया हो।

(ख) बीमा के इच्छुक कृषक का बैंक में खाता रहना अनिवार्य है।

(ग) लधु एवं सीमान्त कृषक द्वारा अंचलाधिकारी से निर्गत वांछित प्रमाण–पत्र जमा किया गया हो, जिसपर अनुदान की पात्रता दी जाय।

(घ) किसान के प्रस्ताव पत्र के साथ अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत भूमि प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की गई हो।

7॰ फसल कटनी प्रयोग की इकाई :– बीमा हेतु चयनित फसलों में गेहूँ फसल हेतु (भोजपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ एवं खगड़िया को छोड़कर) फसल कटनी प्रयोग की इकाई अंचल होगी। भोजपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ एवं खगड़िया जिला में फसल कटनी प्रयोग का संपादन ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। बीमा हेतु चयनित गेहूँ फसल के अतिरिक्त अन्य सभी फसलों का कटनी प्रयोग जिला स्तर पर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा संपादित कराये जायेंगें।

8॰ सभी संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंकों/वाणिज्य बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा माहबार/फसलवार/ इकाईवार (अंचलवार –जिलावार) बीमा प्रस्ताव पत्र एवं धोषणा–पत्र दो प्रतियों में तैयार कर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ ग्रेंड प्लाजा, फ्रेजर रोड, पटना को किसानों से वसूली गयी बीमा प्रीमियम की राशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ प्रेषित किये जायेंगे।संबंधित सभी बैंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडी जाति के बीमित कृषकों का अलग–अलग घोषणा–पत्र बीमा कंपनी को प्रेषित करेंगे ताकि उक्त कृषकों का वास्तविक आच्छादन एवं भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति राशि की स्थिति स्पष्ट हो सके, जो बैंक एतद् संबंधी विवरणी उपलब्ध नहीं करायेंगे उनके द्वारा प्रेषित घोषणा–पत्र आदि को बीमा कंपनी स्वीकार नहीं करेगी तथा इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित बैंक की होगी।

ऋणी एवं गैर ऋणी कृषको के प्रीमियम की राशि का अलग–अलग बैक ड्राफट/ चेक/ पे–आडर Agriculture Insurance Company of India Ltd. AXIS Bank Patna- A/ C No.142010200001441 के पक्ष में पटना में देय होना चाहिए।

9॰ ऋण वितरण करने की अवधि एवं घोषणा–पत्र जमा करने की तिथि को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैः–

क्रमांक	ऋण वितरण की अवधि	घोषणा–पत्र जमा करने की तिथि
क.	अक्टूवर, 10 माह में प्रदाय ऋण	30 नवंबर 2010 तक।
ख.	नबंवर, 10 माह में प्रदाय ऋण	31 दिसंबर 2010 तक।
ग.	दिसंवर, 10 माह में प्रदाय ऋण	31 जनवरी 2011 तक।
घ.	जनवरी, 11 माह में प्रदाय ऋण	28 फरवरी 2011 तक।
ङ	फरवरी, 11 माह में प्रदाय ऋण	31 मार्च 2011 तक।
च.	मार्च, 11 माह में प्रदाय ऋण	30 अप्रील 2011 तक।
छ.	अंतिम तिथि	31 मई 2011 तक।

रब्बी फसलों हेतु ऋण वितरण करने की अवधि 1 अक्टूवर, 2010 से अगले वर्ष 31 मार्च, 2011 तक तथा घोषणा–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31मई 2011 तक निर्धारित की जाती है।

10॰ गैर ऋणी कृषक एवं ऋण राशि से अधिक राशि का बीमा कराने के इच्छुक कृषकों के लिए प्रस्ताव पत्र भरने तथा बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2010 होगी। गैर ऋणी कृषक 31 दिसम्बर 2010 तक अपने निकटतम वाणिज्य बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में प्रीमियम राशि जमा करके बीमा करायेंगे। बैंकों से इससे संबंधित घोषणा–पत्र दिनांक 31 जनवरी 2011 तक एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना को उपलब्ध हो जाना चाहिये।

11॰ इस योजना के संचालन की जिम्मेवारी एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना की है। आवश्यकतानुसार योजना के कार्यान्वयन संबंधी स्पष्टीकरण बीमा कम्पनी द्वारा समय–समय पर प्रेषित किये जायेंगे।

12॰ रब्बी 2010–11 मौसम की बीमित फसलों के कटनी प्रयोग के ऑकड़े 31 जुलाई 2011 तक तथा ईख फसल 2011–12 के आंकड़े 31 जुलाई 2012 तक सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना के माध्यम से एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना को प्राप्त हो जाना चाहिए। बीमा कंपनी द्वारा उक्त आंकड़े के आधार पर ही फसल क्षति का आकलन किया जायेगा। फसल कटनी प्रयोग का क्रियान्वयन जेनरल क्रॉप इस्टीमेशन सर्वे के आधार पर किया जाना है, न कि आनावारी/पैसावारी के आधार पर।

13॰ बैंक सेवा शुल्क :– ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों से प्राप्त कुल प्रीमियम की राशि का 2.5 प्रतिशत सेवाशुल्क के रूप में संबंधित बैंकों को मौसम समाप्ति के पश्चात भुगतान किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव।

---

23 मई 2011

सं० 1/रा॰स्था॰–01/2006–2367––पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं॰ 4857, दिनांक 8 दिसम्बर 2008 को अवक्रमित करते हुए श्री गुप्तेश्वर प्रसाद, उप–सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–5 के तहत सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (सचिवालय प्रभाग) का लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में अगले आदेश तक नामित किया जाता है। श्री प्रसाद, उप–सचिव, सहकारिता विभाग के जन शिकायत पदाधिकारी के रूप में भी कार्यरत रहेंगे।

2. श्री गुप्तेश्वर प्रसाद, उप–सचिव के अवकाश में रहने की दशा में लोक सूचना पदाधिकारी एवं जन शिकायत पदाधिकारी का कार्य श्री ललन राय, विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–उप–सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना देखेंगे।

3. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
ललन राय,
विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह– उप–सचिव।

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

27 मई 2011

सं0 प्र02/आयोग सदस्य चयन–17/03 (खंड)–10–2484––विद्युत अधिनियम 2003 (The Electricity Act, 2003) की धारा–85 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार सरकार एतद् द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) के एक सदस्य को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित करने के लिए निम्नलिखित चयन समिति का गठन करती है :–

2.	(क)	न्यायमूर्त्ति (अवकाश प्राप्त) श्री धर्मपाल सिन्हा	–	अध्यक्ष
	(ख)	बिहार सरकार के मुख्य सचिव	–	सदस्य
	(ग)	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	–	सदस्य

3. सरकार के प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, चयन समिति के संयोजक होंगे।

4. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शम्भु नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव।

विधि विभाग

अधिसूचना

26 मई 2011

एस0ओ0 157, दिनांक 15 जून 2011—13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य मुकदमा नीति (Bihar State Litigation Policy, 2011) का गठन किया गया है जो विधि विभागीय अधिसूचना सं0 1853जे0, दिनांक 31 मार्च 2011 द्वारा अधिसूचित है।

2. उक्त अधिसूचित "बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011" के कंडिका-2(4)(क) में नीहित प्रावधान के अनुसार राज्य में बढ़ते मुकदमों की संख्या में कमी लाने तथा उनके शिकायतों का निवारण करने संबंधी सुझाव समिति को प्राप्त होगी जिसके संदर्भ में समिति द्वारा समुचित निर्णय लिया जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति" का गठन करने का निर्णय लिया है जिसके निम्नलिखित छः सदस्य तथा सचिव, विधि विभाग इसके सदस्य सचिव होगे :-

(i)	प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग	-	सदस्य
(ii)	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	-	सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	-	सदस्य
(iv)	प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	-	सदस्य
(v)	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य
(vi)	प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग	-	सदस्य
(vii)	सचिव, विधि विभाग	-	सदस्य सचिव

3. उक्त समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में महाधिवक्ता, बिहार होगें।

4. उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन सीधे संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा। जब किसी वाद में समिति का निर्णय वृहद् रूप से नीति में परिवर्तन का मामला बनता हुआ प्रतीत होगा तो समिति द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुशंसा सरकार को की जायेगी। समिति का दायित्व होगा कि मुकदमा होने के वृहद् कारणों की पहचान कर उन अच्छे उपायों को सुझावेगी जिससे मुकदमों की बढ़ती संख्या में कमी लाया जा सके। समिति की जिम्मेदारी होगी कि वे मुकदमों से संबंधित शिकायत एवं सुझावों को प्राप्त कर उसके निस्तार के संबंध में समुचित कार्रवाई करेगी, जो सभी विभागों के लिए लागू होगा तथा इसका अनुपालन किया जाना उनका दायित्व होगा।

(सं0सं0-ए0/यो0-मुकदमा नीति-13/2011/3258/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

1 जून 2011

सं०1 स्था०-137/06-1126/वि०स०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 3ए-वे०पु०-16/09-9181, दिनांक 23 अगस्त 2010 एवं संकल्प ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-02/2011-2937, दिनांक 31 माार्च 2011 जो समुह 'घ' के कर्मियों से संबंधित है, को बिहार विधान-सभा सचिवालय में लागू किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

हरेराम मुखिया, अवर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13—571+**10**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

13 सितम्बर 2010

सं० 5/सह/फ०बी०–10/05 सी०डब्लू०जे०सी० सं० 8946/05–3892—सुग्गी देवी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 21 जनवरी 2008 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश में श्रीमती सुग्गी देवी एवं अन्य को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत् खरीफ 2001 मौसम फसल की क्षतिपूर्ति राशि की भुगतान किये जाने संबंधी आदेश के अनुपालन में हुए विलंब के संबंध में विभागीय पत्रांक 571, दिनांक 9 फरवरी 2010 द्वारा श्री सुरेश दास, प्रबंध निदेशक, सिवान केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, सिवान एवं श्री शशिभूषण कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, सिवान केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, सिवान से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई।

इस संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षा से स्पष्ट है कि सी०डब्लू०जे०सी० सं० 8946/05 में दिनांक 21 जनवरी 2008 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आदेश पारित किया गया तथा श्री शशिभूषण कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, सिवान केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, सिवान दिनांक 13 जुलाई 2009 तक उक्त बैंक में पदस्थापित थे। श्री शशिभूषण कुमार अपने स्पष्टीकरण पत्रांक 132, दिनांक 4 मार्च 2010 में अंकित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के अनुपालन में छः सप्ताह से अधिक हुए विलंब का मुख्य कारण बैंक में कर्मचारियों/पदाधिकारियों की कमी होना है।

उक्त क्रम में विभागीय पत्रांक 1362, दिनांक 26 मार्च 2010 द्वारा अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी प्रशाखा–5, सहकारिता विभाग, पटना कार्यालय एवं अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, सिवान के कर्मियों द्वारा वास्तविक रूप से किया गया या नहीं या ससमय हुआ या नहीं एवं क्षतिपूर्ति भुगतान की प्रक्रिया का पालन किस प्रकार किया गया की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त निदेश के क्रम में जाँच पदाधिकारियों द्वारा अपने पत्रांक 03, दिनांक 11 मई 2010 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश का अनुपालन यद्यपि लगभग पन्द्रह महिनों के बाद किया जा चुका है। परन्तु आदेश के अनुपालन में तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, सिवान द्वारा शिथिलता बरती गई है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन में शिथिलता बरतने हेतु श्री शशिभूषण कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, सिवान को निदंन की सजा देने का निर्णय लिया गया है, जो उनके सेवापुस्त में अंकित किया जायेगा। उक्त निर्णय के आलोक में श्री शशिभूषण कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, सिवान सम्प्रति प्रबंध निदेशक, नालंदा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, बिहारशरीफ को उक्त निदंन की सजा आरोप वर्ष 2007–08 संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
लियान कुंगा, विशेष सचिव।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

31 मई 2011

सं0 निग/सारा–4 (पथ) आरोप–32/2011–6314–(एस)—कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के पत्रांक–62/अनु0, दिनांक 16 मई 2011 द्वारा श्री विजय किशोर सिंह, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, सुरसंड, सीतामढ़ी के विरूद्ध मुख्यालय में नहीं रहने, पथ कार्य के कार्यान्वयन में वांछित सहयोग प्रदान नहीं करने, उच्चाधिकारियों से गैरजिम्मेदराना व्यवहार करने एवं वरीय पदाधिकारियों के निदेश की अवहेलना का आरोप प्रतिवेदित किया गया। श्री सिंह का यह कृत्य अनुशासनहीनता एवं कार्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है, जिसके लिए श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जा रहा है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

31 मई 2011

सं0 निग/सारा–मुकदमा– 08/2010–6316 (एस)—श्री अजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ याँत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध श्री सुभाष कुमार दास, समयपाल, राष्ट्रीय उच्च पथ याँत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की पत्नी श्रीमती जय श्री सोम द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2009 को समर्पित परिवाद पत्र में निम्नांकित दो आरोप लगाये गये थे :–

(i) सितम्बर 2009 के प्रथम सप्ताह में प्रसव की संभावना के आलोक में श्री दास द्वारा मांगे गये पितृत्व अवकाश को अस्वीकृत करना।

(ii) श्री दास जो तृतीय वर्ग के कर्मी है, को दिनांक 3 दिसम्बर 2008 से रात्रि प्रहरी (चतुर्थ वर्ग) के पद पर प्रतिनियुक्त करना, दिनांक 7 जुलाई 2009 से वैरिया हॉट मिक्स प्लान्ट, एम0 आई0 टी0, मुजफ्फरपुर पर रात्रि प्रहरी के रूप में प्रतिनियुक्त करना तथा दिनांक 29 अगस्त 2009 से दानापुर–खगौल पथ स्थित हॉट मिक्स प्लान्ट पर रात्रि प्रहरी के पद पर प्रतिनियुक्त करना।

2. विषय वस्तु की गंभीरता को देखते हुए श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता से, विभगीय पत्रांक–11410 (एस) दिनांक–13.10.09 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पत्रांक 390, दिनांक–19 अक्तूबर 2009 के समीक्षोपरांत एवं पूरे प्रकरण पर विचारोपरांत पाया गया कि श्री दास की प्रतिनियुक्ति मूल पदस्थापन मुजफ्फरपुर प्रमंडल के अंतर्गत ही किसी कार्यालय/स्थल पर की जा सकती थी न कि दूसरे प्रमंडल के अंतर्गत। पितृत्व अवकाश की अस्वीकृति के मामले में भी पाया गया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक–2441 दिनांक 18 अगस्त 2009 की अन्तिम पंक्ति में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि अत्यन्त आवश्यकता की स्थिति में कोई पदाधिकारी/कर्मचारी जिला पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश में जा सकता है। श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा सहायक अभियंता को संबोधित उनके पत्रांक–348, दिनांक 1 सितम्बर 2009 द्वारा चुनाव आचार संहिता समाप्त होने तक उक्त अवकाश नहीं दिये जाने की सूचना दी गई। अतएव आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित पाते हुए विभाग द्वारा श्री सिंह कार्यपालक अभियंता को "निन्दन" जो अगले तीन वर्षों तक लागू रहेगा तथा इनकी दो वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का निर्णय लिया गया।

3. उपर्युक्त मामले में विभाग द्वारा लिये गये निर्णय, जिस पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त किया जाना अपेक्षित था और वह आदेश अभी निर्गत नहीं हुआ था, के विरूद्ध श्री सिंह ने सीधे माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए उन शास्तियों को निरस्त करने के लिए आवेदन दिनांक 6 अप्रील 2010 दे दिया। इस मामले में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3 एवं 22 के उल्लंघन का दोषी पाते हुए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक–8251 (एस) दिनांक–02.06.10 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक–246, दिनांक–23 जून 2010 के समीक्षोपरांत इन्हें दोषी पाते हुए विभाग द्वारा इनकी दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया।

4. उपर्युक्त दोनों प्रकरण में सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार इन्हें निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) "निन्दन" की सजा जो अगले तीन वर्षों तक लागू रहेगा।

(ii) चार वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

नालंदा समाहरणालय

आदेश
4 मई 2011

सं० 784/पं०—श्री परशुराम कुमार, पंचायत सचिव, सरमेरा प्रखण्ड के विरूद्ध इनके पदस्थापन के दौरान–(1) वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सरमेरा, के ज्ञापांक 749, दिनांक 9 अक्तूबर 2007 के द्वारा पंचायत का प्रभार सौंपने का निदेश दिया गया था, परन्तु इनके द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए प्रभार नहीं सौंपा गया। (2) इन्हें रोजगार गांरटी योजना का प्रभार सौंपने हेतु निदेश दिया गया, परन्तु आदेश की अवहेलना करते हुए प्रभार नहीं सौंपा गया। (3) इन्हें पारिवारिक सर्वेक्षण सूची वर्ष 2002–07 तक की दोहरी प्रविष्टि वाले पारिवारों की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया, परन्तु इनके द्वारा उक्त कार्य नहीं किया गया। (4) श्री कुमार द्वारा दिनांक 24 अप्रील 2010 को मुखिया ग्राम पंचायत राज मीरनगर का फर्जी हस्ताक्षर कर नालन्दा सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक, सरमेरा से 8,16,000 (आठ लाख सोलह हजार) रू0 की अवैध निकासी कर ली गयी है, जिसके लिए इनके विरूद्ध स्थानीय सरमेरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। साथ हीं हुसैना पंचायत की मुखिया एवं श्री कुमार द्वारा नालन्दा सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक, सरमेरा से 90,000 (नब्बे हजार) रू0 की अवैध निकासी कर ली गयी है, जिसके लिए मुखिया, हुसैना पंचायत एवं पंचायत सचिव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। साथ हीं पंचायत के कुछ महत्त्वपूर्ण कागजातों को गायब कर दिया गया है। (5) श्री परसुराम कुमार, पंचायत सेवक के पूर्व पदस्थापन स्थान प्रखण्ड कार्यालय राजगीर के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 27मु0, दिनांक 9 जून 2010 द्वारा सूचित किया गया है कि इनके द्वारा विभिन्न मदों में ली गयी अग्रिम राशि 21,02,653 (इक्कीस लाख दो हजार छः सौ तिरपन) रूपये इनके जिम्मे बकाया है, जिसकी समायोजन अभी तक नहीं किया गया है। उपरोक्त आरोपों के साथ–साथ बिना किसी सूचना अथवा पुर्वानुमति के कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के आरोप में श्री कुमार को सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1) (क) के तहत् कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 59मु0/पंचायत, दिनांक 28 मार्च 2010 द्वारा निलम्बित करते हुए नियमावली के नियम 17(2) के तहत् इस कार्यालय के पत्रांक 81/पं0, दिनांक 12 जनवरी 2011 के द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, नालन्दा को बनाया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरमेरा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी नालन्दा, संचालन–सह– जाँच पदाधिकारी ने उक्त विभागीय कार्यवाही संचालन में आरोपों की जाँच के पश्चात् अपने पत्रांक 407/आ0, दिनांक 3 मार्च 2011 के द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन कार्यालय को समर्पित किया है, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, प्रतिवेदन आरोपों पर आरोपित कर्मी द्वारा समर्पित्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। जाँचोपरान्त प्रमाणित आरोपों के आधार पर निर्णयानुसार श्री कुमार, पंचायत सचिव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 तथा विभागीय संशोधित अधिसूचना सं0 2797, दिनांक 28 अगस्त 2007 के आलोक में वृहद दंड, सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में संचालन पदाधिकारी, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, नालन्दा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, उपस्थापन पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरमेरा के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सरमेरा के पत्रांक 749, दिनांक 9 जुलाई 2010, ज्ञापांक 750, दिनांक 22 दिसम्बर 2008, पत्रांक 1049, दिनांक 31 अक्तूबर 2009, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजगीर के पत्रांक 27मु0, दिनांक 9 जून 2010 (बकाया सूची दो पन्ने सहित) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सरमेरा के पत्रांक 1321, दिनांक 6 दिसम्बर 2010, पत्रांक 972, दिनांक 22 जुलाई 2010, मुखिया ग्राम पंचायत मीरनगर (सरमेरा प्रखण्ड) के पत्रांक शून्य, दिनांक 21 जुलाई 2010, आरोपी का कथन दिनांक 21 जुलाई 2010, सरमेरा थाना के आरक्षी निरीक्षक श्री अजय शंकर के पत्र दिनांक 21 फरवरी 2011, ग्राम पंचायत हुसैना के मुखिया के पत्रांक 41, दिनांक 22 जुलाई 2010 एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजगीर के पत्रांक 27मु0, दिनांक 9 जून 2010 द्वारा निर्गत अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशित किया गया है कि दिनांक 10 अप्रील 2010 तक द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित करें कि क्यों नहीं उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में दण्डित किया जाय। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है।

उक्त निर्णय के आलोक में संचालन पदाधिकारी, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी नालन्दा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य पत्रांक व ज्ञापांक की प्रति कार्यालय पत्रांक 60मु0/पं0, दिनांक 28 मार्च 2011 के द्वारा श्री कुमार, पंचायत सचिव को भेजते हुए द्वितीय कारणपृच्छा की माँग की गयी। श्री कुमार ने दिनांक 9 अप्रील 2010 को अपना द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित किया, जो पंचायत कार्यालय को दिनांक 13 अप्रील 2010 को प्राप्त हुआ। श्री कुमार के द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा की पुनः समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलस्वरूप इसे अस्वीकृत कर इनकी सेवा बर्खास्तगी संबंधी निर्णय को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, आरोपित कर्मी से प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत वर्णित कारणों से श्री कुमार, पंचायत सचिव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवली 2005 के नियम 14 तथा संशोधित अधिसूचना सं0 2797, दिनांक 28 अगस्त 2007 में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में श्री परशुराम कुमार, पंचायत सचिव, सरमेरा प्रखण्ड को तात्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाता है। निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा एवं योजना मद में प्राप्त की गयी राशि कुल 21,02,653 (इक्कीस लाख दो हजार छः सौ तिरपन) रूपये निलाम पत्र दायर कर वसूली की कार्रवाई श्री कुमार से की जाए। इनसे संबंधित विवरणी निम्नवत है –

(1) कर्मचारी का नाम	–	श्री परशुराम कुमार
(2) पिता का नाम	–	स्व0 वालेश्वर सिंह
(3) पदनाम	–	पंचायत सचिव
(4) जन्म तिथि	–	13.01.1964
(5) नियुक्ति की तिथि	–	25.10.1989
(6) स्थायी पता	–	ग्राम–वाराविगहा, पो0–पावापुरी, जिला–नालन्दा
(7) वेतनमान	–	3200–4900 (5200–20200)

आदेश :– ओदश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री परशुराम कुमार, पंचायत सचिव, सरमेरा प्रखण्ड एवं अन्य संबंधित को दी जाए।

आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
जिला पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13—571+**10**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in